

50 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता समर बहादुर सिंह का सम्मान

लालगंज, आजमगढ़। वरिष्ठ अधिवक्ता समर बहादुर सिंह के विधि व्यवसाय में 50 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को अधिवक्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बार एसोसिएशन के संघ भवन में आयोजित सम्मान समारोह में अधिवक्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम का आयोजन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नगेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमर नाथ यादव, धर्मेन्द्र पाठक, प्रसिद्ध नरायन सिंह और राजेश कुमार सिंह सहित कई अधिवक्ताओं ने सम्मान व्यक्त किया। अध्यक्ष नगेंद्र सिंह ने कहा कि समर बहादुर सिंह का 50 वर्षों का कार्यकाल पूरी तरह निर्विवाद और प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से उनके अनुभव और कार्यशैली से सीख लेने की अपील की सम्मान से अभिभूत समर बहादुर सिंह ने सभी सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के बीच आपसी प्रेम, स्नेह और सहयोग की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस अवसर पर इंद्रभानु चौबे, अशोक कुमार अस्थाना, राजनाथ यादव, कैलाश सिंह, आनंद कुमार श्रीवास्तव, सुनिश कुमार श्रीवास्तव, विनाय शंकर राय, देवधारी राय, हरी यादव, दया शंकर सिंह, विनाय चतुर्वेदी, राम स्वारथ, कपिलदेव सिंह, प्रियंका राव, उत्कर्ष तिवारी और नित्यानंद सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

लालगंज में 15 को लगेगा विद्युत वाणिज्यिक मेगा कैंप

लालगंज (आजमगढ़)। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शुक्रवार 15 मई 2026 को लालगंज में वाणिज्यिक मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड लालगंज के नेतृत्व में एसडीओ कार्यालय लालगंज परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड प्रथम लालगंज ने बताया कि कैंप में स्मार्ट मीटर संबंधी समस्याओं, बिजली बिल संशोधन, भार वृद्धि, खराब मीटर बदलने सहित अन्य वाणिज्यिक समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कैंप में पहुंचकर अपनी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराएं।

बकाया भुगतान को लेकर प्रधानों का धरना प्रदर्शन

निजामाबाद/आजमगढ़। रानी की सराय ब्लॉक परिसर में ग्राम पंचायतों के लंबित भुगतानों को लेकर प्रधान संघ के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष मो. नैयर आजम ने किया। धरने में शामिल प्रधानों ने आरोप लगाया कि पंचायतों में सड़क, नाली, साफ-सफाई, पंचायत भवन समेत विभिन्न विकास कार्य पूरे होने के बावजूद लंबे समय से भुगतान लंबित है। भुगतान न होने से ग्राम प्रधानों के साथ ही मजदूरों और संबंधित कार्यदाताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ता के रूप में अदालत पहुंचीं ममता, विपक्ष को दिया कड़ा राजनीतिक संदेश



कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी को गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट परिसर में भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। चुनाव बाद हुई कथित राजनीतिक हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत पहुंचीं ममता बनर्जी को कुछ वकीलों ने घेर लिया और उनके खिलाफ "चोर-चोर" के नारे लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इस दौरान तीखी बहस और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी बनी, जिससे कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए तनाव फैल गया। जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की पीठ के समक्ष चुनाव बाद हिंसा से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। यह याचिका अधिवक्ता शीर्षान्य बनर्जी की ओर से दायर की गई थी। खास बात यह रही कि ममता बनर्जी स्वयं अधिवक्ता के रूप में अदालत में पेश हुईं और उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष रखा। सुनवाई के बाद जब वह कोर्ट रूम से बाहर निकलीं, तभी कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि "इन लोगों ने मुझे मारा है।" अदालत में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि

बंगाल कोई "बुलडोजर स्टेट" नहीं है और राज्य में कानून के दायरे में रहकर ही कार्यवाई की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामलों को नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं राज्य पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि जिन घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है, उनमें से सभी घटनाएं चुनाव बाद की नहीं हैं और प्रत्येक मामले में आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जा रही है। अन्य मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हाई कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, क्योंकि सुनवाई को लेकर राजनीतिक तनाव पहले से बना हुआ था। कई समाचार चैनलों ने दावा किया कि विरोध कर रहे वकीलों का आरोप था कि चुनाव बाद हिंसा के मामलों में पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने इसे विपक्ष द्वारा प्रायोजित राजनीतिक प्रदर्शन बताया। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी पहली बार

कई जिलों में हिंसा, आगजनी और राजनीतिक हमलों की घटनाएं सामने आई थीं, जिनको लेकर अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस घटनाक्रम के बाद तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी बंगाल के लोगों के साथ खड़ी रहती हैं। पार्टी ने उन्हें "संवैधानिक मूल्यों और न्याय की लड़ाई की अग्रिम पंक्ति की नेता" बताया। वहीं भाजपा नेताओं ने पूरे घटनाक्रम को "राजनीतिक नाटक" करार देते हुए चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अदालत में ममता बनर्जी की सक्रिय मौजूदगी केवल कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने वर्ष 1982 में जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की थी और उनके पास कला, शिक्षा तथा स्नातकोत्तर की डिग्रियां भी हैं।

अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा

सुबेदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनने के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाई तेज हो गई है। कोलकाता के तिलजला, मोमिनपुर, कसबा और एकबालपुर क्षेत्रों में बिना मंजूरी बने ढांचों को हटाया जा रहा है। तिलजला अमिकांड में दो लोगों की मौत के बाद अवैध चमड़ा कारखाना 30 घंटे के भीतर

हटा दिया गया। सरकार ने फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले भवनों के बिजली-पानी कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए हैं। न्यू मार्केट के पास अवैध कब्जों और कथित TMC यूनिन कार्यालयों पर भी कार्यवाई हुई है। BJP इसे "योगी मॉडल" की तर्ज पर कानून व्यवस्था मजबूत करने और "सिंडिकेट राज" खत्म करने की पहल बता रही है।

आजमगढ़ में फिर बना फ़र्जी पासपोर्ट, आरोपी तीन भाईयों की तलाश में पुलिस



आजमगढ़। जिले में एक बार फिर फर्जी पासपोर्ट का मामला सामने आया है, जिसमें तीन सगे भाइयों ने पासपोर्ट को लेकर यह अपराधिक खेल खेला इस संबंध में आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र में तीन सगे भाइयों चंद्रजीत, अमरजीत, शिवानन्द द्वारा नाम बदलकर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर दूसरे नामों से पासपोर्ट बनवाए थे। इसके बाद पुलिस ने तीनों भाइयों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है तथा मामले में आगे की विधिक कार्यवाई प्रचलित है।

आजमगढ़। जिले में एक बार फिर फर्जी पासपोर्ट का मामला सामने आया है, जिसमें तीन सगे भाइयों ने पासपोर्ट को लेकर यह अपराधिक खेल खेला इस संबंध में आजमगढ़ पुलिस



द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करने पर होगा ये नुकसान

आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस लेकर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देशी तमंचा .315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी असलह से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। गिरफ्तार युवक की पहचान सेराज पुत्र स्वर्गीय अली अहमद निवासी पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई है।

लेकर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देशी तमंचा .315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी असलह से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। गिरफ्तार युवक की पहचान सेराज पुत्र स्वर्गीय अली अहमद निवासी पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई है।